

17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-2686-तीन/2002 विरुद्ध आदेश दिनांक 20-08-2002
पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण
क्रमांक-272/1995-96/अपील

भगवान सिंह पुत्र मुरलीधर
निवासी-ग्राम अगरा, तह0 कोलारस
जिला-शिवपुरी

-----आवेदक

विरुद्ध

चिंरोजीलाल पुत्र हरकिशन
निवासी-ग्राम अगरा, तह0 कोलारस
जिला-शिवपुरी

-----अनावेदक

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/12/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-08-2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक द्वारा तहसील के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आगरा कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 443 रकबा 1.04 पर निरन्तर 8-10 वर्ष से कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी के स्थान पर भूमिस्वामी स्वत्व दिये जाने की मांग की है। तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करते हुये दिनांक 28.04.94 को आदेश पारित किये है, जिसके विरुद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 30/93-94/अपील में पारित आदेश दिनांक 05.02.96 द्वारा

अपील स्वीकार किये जाने पर आवेदक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो प्रकरण क्रमांक 272/95-96/अपील पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 20.08.2002 से विचारण न्यायालय के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण मानकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को अस्वीकार किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय ने म०प्र० भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों को समझे बगैर मनमाने तौर पर विवादित आदेश पारित किया है। जबकि अधिनियम की धारा 168 व 169(दो) के प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई भूमिस्वामी अपने खाते में समविष्ट किसी भूमि को धारा 168 के उल्लंघन में किसी कालावधि के लिये पट्टे पर दे देता है, या किसी ऐसे ठहराव जो धारा 168 की उपधारा (1) के अधीन पट्टा न हो, द्वारा किसी व्यक्ति को अपने खाते में समाविष्ट किसी भूमि पर अपने भाड़े के श्रमिक के रूप में न होकर अन्यथा, खेती करने हेतु अनुज्ञात करता है और उस ठहराव के अधीन ऐसा व्यक्ति उसे धारा 250 के अनुसार बेदखल किये बिना, दो वर्ष से अधिक कालावधि के लिये भूमि को कब्जे में रखने के लिये अनुज्ञात किया जाता है, तो ऐसे कृषक को मौरुषी हक हासिल हो जायेगा। आवेदक एवं अनावेदक एक ही गांव के मूल निवासी हैं तथा यदि अनावेदक की सहमति एवं स्वीकृति से आवेदक उक्त भूमि पर काबिज नहीं है तो फिर अनावेदक द्वारा आवेदक के विरुद्ध अधिनियम की धारा 250 के तहत बेदखली कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस संबंध में आवेदक के अभिभाषक द्वारा 1982 आर.एन. 26 रामा बनाम हुसैना, 1979 आर.एन. 210 शैलेन्द्र बनाम म०प्र० राज्य एवं 1977 आर.एन. 197 उच्च न्यायालय नाथू प्रसाद बनाम हब्बू अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत किया है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय होने के कारण प्रकरण में उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से पाया कि आवेदक ने अपने आवेदन में 8-10 वर्ष से कब्जा होना बताया है, किन्तु निरन्तर कब्जे के संबंध में कोई प्रमाण प्रकरण में संलग्न नहीं किया है। आवेदक ने अपनी आवेदन में यह भी दर्शित नहीं किया कि विवादित

भूमि उसे कब, कैसे और किन शर्तों के अधीन एवं कितनी अवधि के लिये प्राप्त हुई है। तहसीलदार द्वारा जो इश्ताहार जारी किया गया वह भी त्रुटिपूर्ण है। विचारण न्यायालय में जो कथन अंकित किये गये, उन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। विचारण न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधि के विपरीत प्रतीत होती है। संहिता की धारा 185, 168 एवं 169 के नियमों के अन्तर्गत विवादित भूमि पर किसी प्रकार का स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। जब उक्त धाराओं के तहत आवेदक को स्वत्व ही प्राप्त नहीं होते तब संहिता की धारा 190 सहपठित धारा 110 के तहत विवादित भूमि पर आवेदक को सहायता नहीं दिया जा सकता। अतः अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस ने विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.94 को अपास्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी का निर्णय उचित है। इसकी पुष्टि अपर आयुक्त ग्वालियर ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना कर की है। मैं अपर आयुक्त के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से सहमत हूँ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं अस्तित्वहीन होने से खारिज किया जाता है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2002 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।



(एस०एस०अली)

सदस्य,

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश,
ग्वालियर,